न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 127/2021(128 एल.आर. एक्ट) प्रा.प.

श्री जितेन्द्र बाबेल पुत्र स्वर्गीय रूपलालजी बाबेल, उम्र वयस्क, निवासी 181, बाबेल निकेतन, उत्तरी आयड़, उदयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री करण सिंह बाबेल पिता श्रीदेवीलाल जी बाबेल, उम्र वयस्क, निवासी उत्तरी आयड़, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्री अजय सिंह हाड़ा अधिवक्ता प्रार्थी एवं

श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 27.09.2023

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का राजस्व ग्राम आयड़ प.म. मादड़ी पुरोहितान तह. गिर्वा जिला उदयपुर आराजी संख्या 725 रकबा 0.5400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 728 रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त आराजीयात सहित अन्य भूमियां प्रार्थी एवं विपक्षी के पृथक पृथक खाते मे दर्ज भूमिया है जो कि पूर्व में संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रही है जिनका बंटवाड़े का दावा आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 190/1999 दिनांक 28.02.2001 निस्तारित फरमाया गया तब से भूमियॉ प्रार्थी, विपक्षी एवं अन्य खातेदारान के पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज हुई है, उक्त कृषि भूमियो में आने–जाने के छोटे–बड़े रास्ते विधिवत् रूप से आज भी कायम है जिसके मौके के फोटोग्राफ साथ सलंग्न है, प्रार्थी एवं विपक्षी अपने हिस्से आयी भूमियों का उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे है तथा दोनों ही पक्षकार पूर्व से स्थापित रास्तो का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी के हिस्से की आराजी संख्या 725 व 728 को छोड़कर प्रार्थी के हिस्से में आई कृषि भूमि पर प्रार्थी की कच्ची पक्की बाड़कोट बनी हुई है। आराजी संख्या 725 एवं 728 के जुझ हिस्से के मध्य से रास्ता होकर भुमि दो भागों में बटी हुई है जिसमें कृषि योग्य भूमि आराजी संख्या 725 का एक भाग विपक्षी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 816 से लगती हुई

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

इसी प्रकार प्रार्थी की आराजी संख्या 728 की भूमि विपक्षी की आराजी संख्या
810, 811, 813, 814 व 729 से लगती हुई है जिसका नाजायज लाभ उठाकर
विपक्षी अनुचित ढंग से हथियाना चाहता है, इसी उद्देश्य से विपक्षी अनुचित ढंग
से कदीमी रास्तों को बन्दकर प्रार्थी की पहुच को आराजी संख्या 725, 728 के
कुछ हिस्से तक बन्द करना चाहता है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अक्सर जो
निशानात विपक्षी एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य कायम किए जाते है अथवा बनाये
जाते है उनको विपक्षी खुर्द–बुर्द करके हटा दिया जाता है। विपक्षी आये दिन
प्रार्थी की आराजी संख्या 725 एवं 728 की सीमाबन्दी को लेकर प्रार्थी से लड़ाई
झगड़ा करता है तथा अपनी स्थाई सीमा को खुर्दबुर्द कर प्रार्थी की भूमि को
अपने के आशय से मौके पर प्रार्थी की आराजी संख्या 725 एवं 728 की भूमियों
अपनी भूमियों के साथ मिलाने हेतु मौके पर निर्माण सामग्री हाल ही में
दिनांक 23.09.2021 को एकत्रित की एवं नींव खोदने के लिए जे.सी.बी. मंगवाई
इस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी के समक्ष एतराज कर पटवारी को मौके पर बुलाकर
विपक्षी की भूमियों के साथ नपती करवाकर तुरंत कोट बनाते का प्रस्ताव रखा
जिस पर विपक्षी आगबबुला हो गया एवं प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर चला
गया।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि
आराजी संख्या 725 एवं 728 मांफिक जमाबन्दी सीमांकन करा व मौके पर
पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित
किया गया, विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि-विपक्षी ने एक
प्रार्थना पत्र बाबत् मौजा आयड़ की आराजी संख्या 729, 730, 732, 733 811 मी.
731, 814, 734, 813 के सम्बध में एक पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के
विरूद्ध पेश किया था जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर पत्थरगढी का आदेश हो
चुका है तथा पत्थरगढी हो चुकी है। प्रार्थी की आराजी संख्या 725 विपक्षी की
आराजी संख्या 716 एवं आराजी संख्या 728 विपक्षी की आराजी संख्या 729 व
813 से लगी हुई है तथा उनकी सीमा जानकारी करादी गई है एवं करण सिंह
की जमीन की पत्थरगढी हो चुकी है जिससे प्रार्थी को उक्त दोनो आराजीयात
की सीमा जानकारी हो चुकी है अब अलग से पत्थरगढी की कोई आवश्यकता
नहीं है। प्रार्थी केवलमात्र विपक्षी को जलील व परेशान करने की गरज से यह
प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी मय खर्चा
खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

विपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 47/19 अनवान करण सिंह बनाम जितेन्द्र बाबेल अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के निर्णय दिनांक 20.12.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 729, 730, 732, 733, 811, 731, 814, 734, 813 के पत्थरगढी के आदेश उभयपक्ष को सुनने के बाद हो चुके है। उपरोक्त विवेचन के बाद न्यायालय का निष्कर्ष है कि पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य इन्हीं आराजीयात के सीमा विवाद को लेकर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर सीमाज्ञांन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा पुनः उन्हीं आराजीयात के मध्य पत्थरगढी के आदेश हेतु नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य पत्थरगढी के आदेश पूर्व में हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी निर्वा, उदयपुर

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
निर्वा–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
निर्वा, उदयपुर

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, [illegible]

विपक्षी [illegible] पत्रावली संख्या 12 4/2023

नाम मुकदमा प्रार्थना पत्र

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
27.9.23	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विस्तृत विवेचना आधार नहीं होने से खारिज किया जाकर पृथक से टंकण करा संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण कोर्ट शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिमा वर्मा
IAS